



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

वैशाख 28, गुरुवार, शाके 1945-मई 18, 2023
Vaisakha 28, Thursday, Saka 1945- May 18, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

पशुपालन विभाग

राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद् टोंक रोड़, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मई 05, 2023

संख्या - प.4(46)/आर.एस.वी.सी./चुनाव/2021-22/ :- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक - 18.05.2018 के अतिक्रमण में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 32(1), (ए), (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) एवं उप-धारा (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का एतद् द्वारा गठन किया जाता है:-

क्र.सं.	सदस्य का नाम / पद	
1.	डॉ. दिनेश सिंह नेहरा	निर्वाचित सदस्य
2.	डॉ. सुरेश कुमार झीरवाल	निर्वाचित सदस्य
3.	डॉ. पदम चन्द कानखेड़िया	निर्वाचित सदस्य
4.	डॉ. सुमेर सिंह रावत	निर्वाचित सदस्य
5.	डॉ. राकेश कुमार चौधरी	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
6.	डॉ. सुरेन्द्र सिंह	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
7.	डॉ. राजेन्द्र कृष्ण काला	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
8.	निदेशक (पशुपालन विभाग, जयपुर, राजस्थान)	पदेन सदस्य
9.	कुलपति (राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान)	पदेन सदस्य
10.	पंजीयक (राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद्, जयपुर)	पदेन सदस्य
11.	राजस्थान राज्य के पशु चिकित्सक संघ द्वारा मनोनीत सदस्य	पदेन सदस्य- रिक्त

उक्त परिषद् का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से 3 वर्ष का होगा तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 एवं राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1988 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों एवं शक्तियों के अनुरूप कार्य संचालन एवं सम्पादन कर सकेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कश्मी कौर,
शासन उपसचिव।